संख्या-1/१४६१/पचास-यु0क0-२०१३-०४(बजट)/२०११

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं
युवा कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ: दिनांक २७ जनवरी, २०१४

विषय- पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु एककालिक पूंजी अनुदान की समान्य मद की धनराशि अवगुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-१९/दो-१०/प्रा0वि0द0/पायका ग्रान्ट/२०११, दिनांक ०८ अप्रैल, २०१३ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

२- आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा यह अवगत कराते हुये कि भारत सरकार के पत्र संख्या-५-२३-एमवाईएएस/पायका/२०१०/१, दिनांक ११ मार्च, २०१३ द्वारा वित्तीय वर्ष २०१०-११ में चयनित ५०३ ग्राम पंचायतों के सापेक्ष ३३८४ पायका सेन्टर्स एवं ८२ क्षेत्र पंचायतों हेतु एककालिक पूंजीगत अनुदान की रू0 २८,४५,५०,०००/- की धनराशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक ११ मार्च, २०१३ द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू० २८,४५,५०,०००/- के सापेक्ष रू० ८,९५,६८,५५३/-सामान्य मद में तथा रू0 ७,०५,०४७/- की धनराशि एस0सी0एस0पी0 के मद के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी है। उक्त अवमुक्त केन्द्रांश में से सामान्य मद में अवमुक्त धनराशि रू० ८,९५,६८,५५३/- सामान्य मद में तथा रू0 २,९८,५६,१८४/- राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुये कुल रू0 ११,९४,२४,७३७/- अर्थात पूर्णांक में रू0 ११,९४,२५,०००/-(ग्यारह करोड चौरानब्बे लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में इस मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 ३७.०० करोड. में से अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

३- उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना के कार्यान्वयन हेतु एककालिक पूंजी अनुदान की सामान्य मद के अन्तर्गत कुल रू० ११,९४,२४,७३७/- अर्थात पूर्णांक में रू0 ११,९४,२५,०००/- (ग्यारह करोड चौरानबबे लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन

http://sjasamadesh.up.nic.in

स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

४- महानिदेशक प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगें कि उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में ही किया जाय और उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/भारत सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

५- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय प्रतिनिहित अधिकारों की सीमा के अधीन किया जायेगा तथा जहां कहीं भी व्यय हेतु शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जायेगा । व्यय स्वीकृति धनराशि तक ही सीमित रखा जाय और शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-१-६४०/दस-२०१३-२३१/२०१३ दिनांक २८ मार्च, २०१३ में दिये गये निर्देशों आदि का कडाई से पालन सुनिश्चत किया जाये।

६- व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासानादेश संख्या-सी0ए0-९३४/दस-२००८-मित-१/२००७, दिनांक-०२ सितम्बर, २००८ का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

७- जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रायोजन के लिए किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग करते समय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित शर्तों/दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

८- भारत सरकार को अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराकर इस योजना में अपेक्षित केन्द्रांश सघन अनुश्रवण पर प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जाय।

९- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के आयोजनागत आय-व्यय की अनुदान संख्या-१४ के अधीन "लेखाशीर्ष-२०७०-अन्य प्रशासनिक सेवायें-८००-अन्य व्यय-०१ केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-०१०२-पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (के.७५/रा.२५-के.+रा.)-२०-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

१०- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-२-५६/दस-२०१४, दिनांक २४-०१-२०१४ में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-१४६१(१)/पचास-यु0क0-२०१३-०४(बजट)/२०११ तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एंव द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

२- महालेखाकार सिविल (आडिट) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

३- अनु सचिव, युवा कल्याण एंव खेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

४- विशेष सचिव, स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन।

५- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

६- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-२, उ0प्र0 शासन।

७- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-१, उ0प्र0 शासन।

८- नियोजन अनुभाग-३, उ0प्र0 शासन।

९- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in